न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **70/25 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2025/261

1. खेमराज पुत्र नाथु जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी धूणीमाता, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. कुका पुत्र माना जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. गंगा उर्फ गंगली पुत्री माना जी पत्नी गोविन्दा जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी रेल पुल के पास, भैसड़ाखुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
3. छगा पुत्र माना जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. देवीलाल पुत्र माना जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील धासा, जिला उदयपुर (राज०)
5. नाथी पुत्री माना जी पत्नी भमरू जी जाति भील. उम्र वयस्क, निवासी जुनावास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
6. नोजी पुत्री दला जी पत्नी इन्दर जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी काला मंगरा सुथाडी पलानाखुर्द, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
7. प्रकाश भील पुत्र देवीलाल जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
8. फेफली बाई पत्नी दला जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
9. भमरी पुत्री दला जी पत्नी मनोर जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी भैसड़ा खुर्द पनवा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
10. हीरकी उर्फ भमरी पुत्री माना जी पत्नी धन्ना जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी धूणीमाता भोइयो की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
12. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 06.02.2026

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रख्यावल, पटवार हल्का रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 2201/2028, 2410/2198 किता 2 कुल रकबा 1.1979 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित है। आराजी नम्बर 2202/2028 रकबा 0.9632 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त वर्णित आराजी विपक्षी संख्या 1 से 10 एवं खातेदार गुलाबी बाई पुत्री दला भील के नाम हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। खातेदार गुलाबी बाई लाऔलाद फौत हो चुकी है जिसके वारिस विपक्षी संख्या 6, 8, 9 हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये किस्म रास्ता आराजी नम्बर 2035 के सटमा पश्चिमी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 10 के आराजी नम्बर 2202/2028 उत्तरी भू भाग पर पूर्व से पश्चिम की और जाता हुआ 30 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ होकर आराजी नम्बर 2201/2028 की पूर्वी सीमा के सटमा तक बना हुआ जिससे होकर मेरे पूर्वाधिकारी एवं उनके पश्चात् मैं प्रार्थी मेरी उक्त वर्णित आराजीयात पर आते जाते रहे हैं तथा इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे है तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से मेरे पूर्वाधिकारी एवं में प्रार्थी उपयोग उपभोग करते आ रहे है।
3. यह कि मुझ प्रार्थी के पास मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये आराजी नम्बर 2202/2028 में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं और सदीप से मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 10 के नाम पर है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षी संख्या 1 से 10 आपस में मिलीभगत कर दिनांक 13–05–2025 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर आये और हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजी पर बने रास्ते की ट्रेक्टर से हकाई करवा दिया तथा रास्ते को अपनी जमीन में मिलाकर उस पर अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं माने बल्कि मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 10 द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी भूमि पर आने जाने से रोक देने से मुझ प्रार्थी एवं मेरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

परिजन हमारी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहे है और न ही हमारी भूमियों की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रहे हैं जिससे मुझ प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही हैं। वर्तमान में भी गुझ प्रार्थी के लिये अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने जाने के लिये सुगमता पूर्वक यही मार्ग हैं तथा इसी रास्ते से ही सुगमता पूर्वक मैं प्रार्थी अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकता हूँ। इसके अलावा मेरी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। मैंने मेरी कृषि भूमियो में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 10 को परिशिष्ट (ब) में वर्णित आराजी में स्थित रास्ते पर उत्पन्न किये गये अवरोध को हटाने एवं रास्ता पूर्व अनुसार चालु किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 10 ने रास्ते से आवागमन करने देने से साफ इन्कार कर दिया और विपक्षी संख्या 1 से 10 एवं इनके परिवार के सदस्यों ने हमारे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मुझ प्रार्थी की भूमियों में आवागमन करने के लिये परिशिष्ट (ब) में अंकित कृषि भूमि में संलग्न नजरी नक्शे में चमकीने रंग से चिन्हित किये गये भू भाग पर बैलगाडी, ट्रैक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौड़ाई का अर्थात 30 फीट चौड़ा रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि प्रार्थी अदा/जमा कराने को तैयार हूँ।

4. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 13–05–2025 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 10 ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से परिशिष्ट (ब) में अंकित भूमि पर स्थित रास्ते को हकवा कर अपनी जमीन में मिला दिया और रास्ते में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया और मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया। जिसपर मुझ प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से 10 को उक्त भूमि में स्थित रास्ते से मेरी कृषि भूमि पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में कोई अवरोध पैदा नही करने हेतु कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 10 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की भूमि पर पहुँचने तक के लिए आराजी नम्बर 2202/2028 में से [illegible] संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

चिन्हित भाग पर 30 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाडी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से कायम किया जायें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमलदरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 11 व 12 को आदेशित किया जायें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 10 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जायें कि विपक्षी संख्या 1 से 10 उनकी उक्त वर्णित आराजी में स्थित उक्त रास्ते (जिसे संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित किया गया है) से होकर प्रार्थी को शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे न बाधित करे प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नही, बाड़ नहीं करें इसने किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 8 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 द्वारा अस्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की आराजी नम्बर 2201/2028 रकबा 1.1574 हैक्टर व 2410/2138 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.1979 हैक्टर भूमि मौजा रख्यावल में अवश्य स्थित है किन्तु उक्त आराजीयात की तरमीम गलत दर्ज की गई है। हम विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2202/2028 में कोई रास्ता नहीं रहा है न ही प्रार्थी कथित रास्ते से या हमारी कृषि भूमि से कभी नहीं आया गया है न ही वर्तमान में रास्ता मौजूद है और न ही हमारी जमीन में कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज रहा है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि मेन सडक आबादी नम्बर 2035 अर्थात खेमली से घासा आने जाने वाले उत्तर दिशा में सटमा एक सी.सी. रोड बनी हुई है जो इन्द्रा आवास योजना तक जाती है जिसका ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया कि मुख्य सडक से एक सी.सी. रोड इन्दिरा आवास कॉलोनी वार्ड नम्बर 3 तक जाती है एवं इसका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है इस प्रकार प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने के लिये उत्तर दिशा की ओर सटमा सी.सी. रोड बनी हुई है जो ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई है जो वार्ड नम्बर 3 इन्दिरा कॉलोनी जाती है और शुरू से यही रास्ता इस जमीन पर आने जाने के लिये रहा हे तथा आज भी इसी सी. सी. रोड से होकर इन भूमियों पर आवागमन है तथा अभी भी इसी रास्ते से होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

आ जा रहे है और कृषि उपकरण इत्यादि ले जा रहे है हम विपक्षीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सुरक्षा के लिये काफी समय पहले ही चारो सीमाओ पर बाड़ की हुई है और हम विपक्षीगण व हमारे परिजन हमारी कृषि भूमि पर आवागमन कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हे और उक्त मुकदमा करने के पूर्व ही प्रार्थी वेणा ने स्टाम्प किमती 500/—रूपये पर हम विपक्षीगण के पक्ष में दिनांक 18/4/2024 को इसी आशय की एक लिखापढी भी निष्पादित कराई थी जो अवलोकनार्थ इस जवाब के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी ने इस कलम में सभी कथन मिथ्या एवं गलत अंकित किये है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि को एक वर्ष पूर्व ही वेणा से खरीदी है तो ये संदीप से कैसे आ जा रहे है मनगढंत कहानी बनाकर रास्ता निकलवाना चाहते है जो अनुचित है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर 2201/202, 2200/202 कलम संख्या 2 में नजरी नक्शा बनाया है वह आराजी प्रार्थी की नहीं होकर अन्य खातेदार की है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 2201/202 एवं 2200/202 कुल किता 2 जो नजरी नक्शे में नम्बर है वह एवं कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बर 2201 / 2028, 2410/2028 भिन्नता है कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी जिससे प्रार्थी के आने जाने के लिये रास्ता चाहा है उसमें आने के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका उल्लेख ग्राम पंचायत द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना में दी है कि उक्त आराजीयात के सटमा उत्तर दिशा की और रास्ता है जो मुख्य सडक खेमली से घासा जाने वाली रोड से वार्ड नम्बर 3 इन्दिरा कॉलोनी रख्यावल जाती है जिसका निर्माण सी.सी. रोड ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013—14 में किया गया है इससे स्पष्ट है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है यह रोड वार्ड नम्बर 3 इन्दिरा कॉलोनी रख्यावल में ग्राम पंचायत द्वारा सी. सी. रोड वर्ष 2013—14 में बनाई गई एवं जिला परिषद् व ग्राम पंचायत के संयुक्त मद से बनाई गई जब विपक्षीगण द्वारा विपक्षी की आराजीयात के चारो और बाउण्ड्रीवाल एवं थोर की बाड कर रखी है तो प्रार्थी इस रास्ते का संदीप से उपयोग कैसे कर रहा है इस कलम की सम्पूर्ण ईबारत मनगढंत एवं काल्पनिक अंकित की है जो अस्वीकार है, प्रार्थी विपक्षीगण की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार के रास्ते की बात कर रहा जब मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो हम सलाह होकर हाकने की बात ही नहीं है क्योकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है सम्पूर्ण आराजी के चारो तरफ थोर की बाड एवं कुछ जगह पत्थर की कोट बनी है प्रार्थी एक भूमि दलाल है जो धुणीमाता राजस्वग्राम में निवास करता है जब मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तो रास्ता रोकना मारपीट करना सब कथन मनगढंत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि हम विपक्षीगण गरीब काश्तकार है जबकि प्रार्थी धनाढ्य व्यक्ति है और धनबल एवं बाहुबल से हमारी जमीन से जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहता है मिथ्या कथन अंकित कर यह झूठा प्रार्थना पत्र आप श्रीमान न्यायालय में पेश किया है और अन्त में खारिज होगा । प्रार्थी ने अपने नजरी नक्शे मे चमकीले रंग से जो रास्ता बताया है उस नजरी नक्शे में आराजी नम्बर 2201/202 2200/202 राजस्व ग्राम रख्यावल में कहा पर है स्वयं प्रार्थी बतावे इसलिये प्रार्थी की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में भिन्नता है इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे, नजरी नक्शे में वर्णित आराजीयात का विपक्षी खातेदार नहीं है एवं इस आराजीयात का जो खातेदार हो उससे पक्षकार बनाकर दाद प्राप्त करे जब मौके पर कोई रास्ता नहीं है एवं प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो प्रार्थी किसी प्रकार से रास्ते की मांग नहीं कर सकता है, जबकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो 30 फीट रास्ता उपलब्ध करना नियमानुसार राशि जमा करवाना काल्पनिक बाते प्रार्थी नहीं करे । धारा 251—क में यह भी प्रावधान किया गया है कि रास्ता उपलब्ध हो एवं मौके पर उसका उपयोग हो रहा है तो किसी पक्षकार की अपनी सुविधा के लिये मर्जी से रास्ता नहीं दिया जा सकता है एवं जहां पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तो भी रास्ता नहीं दिये जाने का प्रावधान है इसलिए प्रार्थी द्वारा इस प्रावधान का प्रार्थी गलत तरीके से उपयोग करना चाह रहा है इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है ।

8. यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुकदमा प्रस्तुत करने से पहले उपरोक्त पक्षकारो के विरूद्ध वेणा द्वारा जो इसी भूमि को विक्रय खेमराज को की गई वेणा द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र धारा 251 —क पेश किया जो अदम हाजरी में खारिज हुआ जिसके नम्बर 07/24 दिनांक 21/6/24 में खारिज हुआ दूसरा प्रकरण संख्या 24/24 प्रा. पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी स्वीकार की गई उसके बाद प्रार्थी जो इस भूमि का खरीददार है उसके द्वारा पुनः नया प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 07/24 जो दिनांक 21/8/24 अदम हाजरी में खाजिर हुआ उसको पुनः नम्बर पर नहीं लेकर उन्ही पक्षकारो के विरूद्ध नया प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे खारिज फरमाया जावे । प्रार्थी के खेत पर आने जाने के लिये कोई रास्ता विपक्षीगण की जमीन में नहीं है जिसकी पुष्ठी वेणा द्वारा जो परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजी का खातेदार था उसी से प्रार्थी ने यह भूमि खरीदी की पूर्व खातेदार वेणा ने विपक्षीगण को 500/— रूपये के स्टाम्प पर इकरार नामा हक विपक्षीगण के पक्ष में निष्पादित कर रखा है फिर [illegible] कथन कर यह मुकदमा कर दिया जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

खारिज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं वेग तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

9. तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम रख्यावल की आराजी नम्बर 2201/2028 एवं 2410/2198 भूमि प्रार्थी खेमराज पुत्र नाथू जाति भील के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं आराजी नम्बर 2202/2028 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 10 के नाम हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला होकर 17.72 मीटर लम्बा एवं 9.14 मीटर चौडा अर्थात् 162 वर्ग मीटर है। प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा 17.72 मी. X 9.14 मी. = 162 वर्गमीटर अर्थात 0.0162 हेक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ता भूमि रकबा 0.0162 हैक्टेयर की वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर 1380000/– प्रति हेक्टेयर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की मूल्यांकन रिपोर्ट 22356 रूपये बनती है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का रख्यावल, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की गई।

10. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 435 पर दर्ज आराजी नम्बर 2201/2028, 2410/2198 किता 2 कुल रकबा 1.1979 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 7 का कथन है कि प्रार्थी की आराजी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता विपक्षीगण की भूमि में नही है तथा ना ही प्रार्थीगण का आवागमन उक्त आराजीयात से कभी रहा है। प्रार्थी की अपनी खातेदारी की भूमि इन्द्रा आवास कॉलोनी के पास है तथा इन्द्रा आवास कॉलोनी तक सी.सी. रोड़ बनी हुई है। प्रार्थी इसी सी.सी.रोड़ से अपनी भूमि पर आवागमन करता है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नवीन रास्ते के प्रकरण में यह देखा जाता है कि मौके पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है या नही? यदि रास्ता उपलब्ध नही है और खातेदार को रास्ते की अतिआवश्यकता है तब सबसे निकटतम रास्ता दिया जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही था और प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता थी। प्रार्थी जिस सी.सी. रोड़ से आवागमन का कथन किया है वह प्रार्थी की भूमि तक नही जाती है। बिलानाम सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 2201/2028 के मध्य विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2202/2028 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ न्यूनतम दूरी का रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2202/2028 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि बनती है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि की डीएलसी 1380000 रुपये प्रति हैक्टेयर से 22356 रूपये बनते है तथा दुगुनी दर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 162 वर्गमीटर के 44712 रूपये बनते है। उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण को दी जाकर रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 170 पर दर्ज आराजी नम्बर 2202/2028 रकबा 0.9632 हेक्टेयर भूमि में से 0.0162 हैक्टेयर अर्थात 9.14 मीटर चौड़ाई एवं 17.72 मीटर लम्बाई से रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 44,712/– रूपयें चौमालिस हजार सात सौ बारह रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 से 10/सहखातेदारो को क्षतिपूर्ति के रूप में उक्त भूमि में दर्ज उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested